कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः—सीआईडी/सीबी/पीआरसी/स्थाईआदेश/2388—2425 दिनांकः—08.05.2008

1. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज,
 राजस्थान मय रेल्वेज।

2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण,
 राजस्थान मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर।

स्थाई आदेश संख्या— 2/2008

प्रायः यह देखा गया है कि जिलों में पुलिस थानों पर अपराध—मानचित्र सुव्यवस्थित तरीके से तैयार नहीं किये जा रहे हैं। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रत्येक जिले के थानों पर गत—वर्ष एवं आलोच्य—वर्ष के आपराधिक मानचित्र **प्रतिदिन के आधार पर** बनाये जाएँ। अपराध मानचित्र में प्रत्येक अपराध को पृथक से दर्शाया जाये। अपराध मानचित्र पुलिस के लिए गश्त व नाकाबन्दी की योजना बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इससे हम देख सकते है कि अपराध कहाँ व किस समय हो रहा है, जिससे हम नाकाबन्दी व गश्त को उस अनुसार सुनिश्चित कर सकते हैं। बदमाशो के आने—जाने के रास्ते का पता चल सकता है। उदाहरणार्थ, वर्ष 2007 के पूरे वर्ष का एवं वर्ष 2008 में प्रतिदिन के आधार पर अपराध मानचित्र तैयार किया जाए।

2. अपराध—मानचित्र निम्न तीन प्रकार के अलग—अलग होंगे :—
   (i) राज्य में समस्त थानों पर सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों के मानचित्र (Property Offences Crime Map) तैयार किये जायेंगे। सम्पति सम्बन्धी अपराधों में डकैती, लूट, चोरी, नकबजनी व वाहन चोरी सम्मिलित होंगे।
   (ii) शहरी एवं नगरपालिका/नगरपरिषद क्षेत्रों के पुलिस थानों में सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले अपराधों के मानचित्र (Street Offences Crime Map) तैयार किये जायेंगे। इस शीर्षक के अन्तर्गत शरीर सम्बन्धी अपराध (हत्या को छोड़कर), झगड़ों की असंज्ञेय रिपोर्ट, गाली गलौच, धमकाने एवं नुक्सेअमन की रिपोर्ट, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर उत्पात मचाने की रिपोर्ट एवं उद्दापन की रिपोर्ट इत्यादि सम्मिलित होंगी।
   (iii) राज्य के समस्त थानों पर सड़क दुर्घटनाओं के मानचित्र तैयार किये जायेंगे।
   उपरोक्त मानचित्र (4फीट X 4फीट) साईज के होंगे, आवश्यकतानुसार साईज को बढाया भी जा सकता है। समस्त मानचित्र स्केल के अनुसार (to the scale) बनाये जायेंगे।

3. <u>सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों के मानचित्र (Property Offences Crime Map)</u>

इस मानचित्र में बीट अनुसार शहरी और कस्बों के थानों में शहर एवं कस्बों को मानचित्र में दर्शाया जायेगा तथा गावों के थानों में गांव को मानचित्र में दर्शाया जायेगा।
सम्पति सम्बन्धी अपराधों में डकैती को डी (D) लूट (R), चोरी (T), नकबजनी (B) व वाहन चोरी [चौपहिया वाहन–वी (V), दुपहिया वाहन–ए (A)] से दर्शाया जायेगा। रात्रि में होने वाले अपराधों को लाल रंग से दर्शाया जाए तथा दिन में होने वाले अपराधों को हरे रंग से दर्शाया जाए।
उदाहरण के लिए, माह जनवरी में घटित डकैती के अपराध को "डी"–1 से दर्शाया जाए और यदि अप्रेल में अपराध घटित हुआ हो तो उसे "डी"–4 से दर्शाया जाए।

4. <u>सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले अपराधों के मानचित्र (Street Offences Crime Map)</u>

इस मानचित्र में शरीर सम्बन्धी अपराध (हत्या को छोड़कर) को बी (B), झगड़ों की असंज्ञेय रिपोर्ट, गाली गलौच, धमकाने एवं नुक्सेअमन की रिपोर्ट को एनसी (NC), सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर उत्पात मचाने की रिपोर्ट को डी (D) एवं उद्दापन की रिपोर्ट को ई (E) से दर्शाया जायेगा।

5. <u>सड़क दुर्घटनाओं के मानचित्र (Road Accidents Map)</u>

इस मानचित्र में गम्भीर एवं साधारण दुर्घटनाओं के स्थान को स्पष्ट तौर से चिन्हित करते हुए मृतकों की संख्या भी दर्शायेंगे। गम्भीर दुर्घटनाओं को जी (G) एवं साधारण दुर्घटनाओं को एस (S) व मृतकों की संख्या को डी (D) – संख्या से दर्शाया जाए।
उदाहरण के लिए, माह फरवरी में घटित गम्भीर दुर्घटना में यदि चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, तो इसे "जी"–2 व "डी"–4 से दर्शाया जाए।

6. उपरोक्त अपराध–मानचित्र तैयार करने के पश्चात् थानाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने थाने के समस्त अधीनस्थ मुलाजमानों को अपराध–मानचित्र के साथ प्रतिदिन ब्रीफ करें, जिसमें थानाधिकारी द्वारा उन्हें बताया जावेगा कि किस स्थान एवं किस समय पर पैट्रोलिंग, गश्त एवं नाकाबन्दी की जानी है। उक्त ब्रीफिंग में सम्बन्धित सामुदायिक पुलिस अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाए।

7. अपराध के बदलते स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिदिन निर्दिष्ट गश्त (Directed Patrolling) की व्यवस्था के साथ पुलिस थानों पर उपलब्ध स्टाफ का अधिकतम सदुपयोग किया जा सके, ऐसी व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त स्थाई आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।